समाहरणालय, कटिहार

आपदा प्रबंधन प्रशाखा

कँवल तनुज, भा०प्र०से०,
जिला पदाधिकारी, कटिहार
- 06452-230581(O) 06452-230583(R)
- +91-9473191375 फैक्स - 06452230880
E-mail :- dm-katihar.bih@nic.in

–:: आदेश ::–

अपर सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार पटना का पत्रांक–1357/आ०प्र० दिनांक–14.04.2020 के आलोक में **CFMS Order No.–466/आ०प्र० दिनांक 14.04.2020** के द्वारा वर्त्तमान **वित्तीय वर्ष 2020–21** में स्थापना एवं प्रतिवद्ध व्यय मुख्य **शीर्ष–2245** प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्य **शीर्ष–02–बाढ़–चक्रवात** आदि, लघुशीर्ष–101–आनुग्रहिक राहत, उपशीर्ष–0016–राज्य की स्थानीय प्रकृति की आपदाओं से राहत हेतु अनुदान का भुगतान विपत्र **कोड–39–2245021010016** मांग संख्या 39, **Allotment ID–130454, विषय शीर्ष 37–01–अनुग्रह** अनुदान के अन्तर्गत **मो० 40,00,000.00 (चालीस लाख) रूपये** प्राप्त आवंटन में से अंचलाधिकारी, कटिहार को वर्तमान में अंकित राशि **राज्य की स्थानीय प्रकृति की आपदाओं के तहत यथा–वज्रपात/ नदियों/तालाबों/गड्ढों/नहरों में डूबने से एवं आँधी–तूफान तथा मानव जनित सामूहिक दुर्घटना (सड़क दुर्घटना) से हुई मृत्यु के उपरांत मृतक के आश्रित परिवार/परिजन को भुगतान करने अथवा भुगतान की गई अनुग्रह अनुदान/सहाय्य राशि के समायोजन हेतु स्वीकृत राशि का उपावंटन** करते हुए निकासी की स्वीकृति दी जाती है।

निदेश दिया जाता है कि इस उपावंटित राशि का व्यय **विभागीय पत्रांक/अधिसूचना संख्या 1418/आ0प्र0 दिनांक–17.04.15, 1973/आ0प्र0 दिनांक–26.05.15, 1642/आ०प्र० दिनांक–22.04.16, 1891/आ०प्र० दिनांक–16.07.18 एवं 320/आ०प्र० दिनांक–01.02.2019 के आलोक में स्वयं सतुष्ट होने के उपरांत राज्य की विशेष स्थानीय प्रकृति की आपदाओं की श्रेणी की घटना के लिए ही अनुग्रह अनुदान राशि का भुगतान मृत व्यक्तियों के आश्रितों परिवार को करना सुनिश्चित किया जाय। उपावंटित राशि उसी मद में व्यय किया जाय जिस मद के लिए राशि का उपावंटन किया गया है। किसी भी अन्य मद में इस राशि का विचलन नही किया जाय** अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे।

उपावंटित की गई राशि की निकासी यथासंभव **Fully Vouched Bill** के माध्यम से ही की जाय। महालेखाकार कार्यालय बिहार, पटना को बिहार वित्त नियमावली के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समय सीमा में भारत सरकार के विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग/जिला आपदा प्रबंधन प्रशाखा, कटिहार को अचुक रूप से भेजना सुनिशिचित करेंगे।

यह भी निदेशित किया जाता है कि कोषागार से राशि की निकासी कर बैक खाते मे नही रखेगे तथा व्यय नही होने की स्थिति में **दिनांक 15.03.2021 तक** प्रत्यार्पण प्रतिवेदन भेजना भी सुनिश्चित करेगें। यह आवंटन आदेश **वित्त विभाग के ज्ञापांक–2561/वि0(2) दिनांक–17.04.1998** के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। व्यय की गई राशि का मिलान महालेखाकार कार्यालय, बिहार पटना से नियमित रूप से किया जाय, इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदा० ही जिम्मेदार होंगे।

क्र0	अंचल का नाम	मृतक का नाम	स्वीकृति आदेश पत्र संख्या एवं दिनांक (संबंधित अनु० पदा० द्वारा)	वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान् राज्य की स्थानीय प्रकृति की आपदाओं से राहत हेतु अनुग्रह अनुदान इकाई मद में भुगतान की गई राशि के समायोजन/भुगतान हेतु उपावंटित राशि			अभ्युक्ति
				पूर्व	वर्त्तमान	कुल योग	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	कटिहार	अमरनाथ दुबे	386/11.05.2020	–	4,00,000.00	4,00,000.00	(आ0स0 02/2019–20) पानी में डूबने से
			कुल योग	–	**4,00,000.00**	**4,00,000.00**	

(मो० चार लाख रूपये)

ह०/-
जिला पदाधिकारी,
कटिहार।

E:\Rajat New Data\TB Das\Sub Allotment20-21.docx

Scanned by TapScanner